ESTD. 1965

ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (रजि.)

(Regd No. S/2999 of 1966-67)

FLAT NO. 10, IST FLOOR, VARDAN HOUSE, CHABI GANJ, KASHMERE GATE, DELHI-110006

Phone : 23967505, 23948000 E-mail : apma1965@yahoo.in Website : www.apma.biz

R.K. GUPTA	**VISHNU BHARGAVA**	**VINAY NARANG**
PRESIDENT	**Hony. General Secretary**	**Hony. Treasurer**
Mobile : 9891008503	**Mobile : 9811139614**	**Mobile : 9810193816**

सरकूलर नं0 अपमा/2016–18/144 दिनांक : 29 जुलाई, 2017

''अपमा निःशुल्क चिकित्सालय''

आप सभी व्यापारी भाइयों को सूचित किया जाता है कि हर मंगलवार एवं शुक्रवार के दिन योग्य एवं अनुभवी एम.बी.बी.एस. डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा जी पूर्व की भांति **सुबह 10.00 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे** तक अपमा डिस्पेन्सरी में अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध रहेंगें। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप अपने कर्मचारियों, ठेलेवाले, झल्लीवाले एवं जरूरतमंद मरीजों को चिकित्सा सहायता हेतु अवश्य भेजें।

व्यापारी भाईयों, अपमा डिस्पेन्सरी 80(G) के अन्तर्गत पंजीकृत है। डिस्पेन्सरी हेतु दी हुई दान राशि पर आपको इनकम टैक्स के अन्तर्गत 50% छूट मिलेगी।

सरकूलर नं0 अपमा/2016–18/145

''अपमा द्वारा दो दिवसीय जीएसटी पाठशाला सफलता के साथ सम्पन्न''

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि गुरूवार दिनांक 27–7–2017 एवं शुक्रवार दिनांक 28–7–2017 को दोपहर 3.00 बजे से लेकर सायं 5.00 बजे तक अपमा कार्यालय में दो दिवसीय जीएसटी पाठशाला का आयोजन किया गया। जीएसटी पाठशाला में काफी संख्या में व्यापारी भाईयों ने उत्साह एवं जागरूकता से भाग लिया। जीएसटी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हेतु अपमा कार्यकारिणी सदस्य टीम एवं कुछ व्यापारी भाईयों ने पाठशाला में आए हुए व्यापारियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर दिये तथा उनकी शंकाओं का समाधान भी किया। इसके अलावा गुप्ता एण्ड भाटिया दिल्ली के सी.ए. श्री राकेश कुमार गुप्ता जी ने भी व्यापारियों के प्रश्नों के उत्तर दिये, जिसके लिए हम उनका आभार व्यक्त कर धन्यवाद करते है।

''सदैव व्यापारी हितों के लिए तत्पर आपकी अपमा''

सरकूलर नं0 अपमा/2016–18/146

''डी वैट की प्रथम तिमाही रिटर्न तिथि के बढ़ने के सन्दर्भ में''

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2017–2018 की डी वैट की प्रथम तिमाही रिटर्न की अंतिम तिथि जोकि 28 जुलाई 2017 थी **उसको बढ़ाकर अब अंतिम तिथि 17 अगस्त 2017 कर दी गयी है। कृपया ध्यान दें।**

कृ0प0उ0.........2

सरकूलर नं0 अपमा/2016—18/147

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, कमिश्नर, राज्य कर/वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या स0द0जी0एस0टी0/माल परिवहन परिपत्र—2017—18/1028 दिनांक 27 जुलाई 2017 के माध्यम से जो आदेश जारी किया है उसको आपकी जानकारी हेतु नीचे प्रकाशित किया जा रहा है, कृपया ध्यान दें —

''उत्तर प्रदेश में माल भेजने की परमिट की अवधि बढ़ने के सन्दर्भ में''

शासकीय विज्ञप्ति संख्या KA-NI-1014/XI-9(52)/17-UP.GST RULES-2017–ORDER–(31)-2017 दिनांक 21—7—2017 द्वारा प्रदेश में ई—वे बिल लागू किये जाने की व्यवस्था की गई थी। पश्नगत विज्ञप्ति कमिश्नर, वाणिज्य, कर उत्तर प्रदेश द्वारा फार्म डाउनलोडिंग प्रक्रिया निर्धारित करते हुए जारी किये जाने वाले परिपत्र में निर्धारित तिथि से प्रभावी होने का निर्देश दिया गया था। उक्त निर्देशों के अनुपालन में फार्म डाउनलोडिंग की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए कम्प्यूटर परिपत्र संख्या 1718021 दिनांक 22—07—2017 जारी किया गया था तथा प्रश्नगत विज्ञपित के दिनांक 26—7—2017 से प्रभावी होने का प्राविधान किया गया था। ई—वे बिल की प्रश्नगत व्यवस्था के सम्बंध में व्यापारिक संगठनों, ट्रान्सपोर्ट एसोसिएशनों आदि द्वारा इस व्यवस्था का कुछ समय के लिए स्थगित किये जाने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त टैक्सटाइल, फैब्रिक्स आदि के डीलरों द्वारा भी अवगत कराया गया है कि कपड़ा, फैब्रिक्स आदि वैट व्यवस्था के अन्तर्गत करमुक्त थे तथा जी.एस.टी. में कर योग्य है। अतः कपड़ा व फैब्रिक के व्यापारियों को पंजीजन प्राप्त करने हेतु कुछ समय की आवश्यकता है एवं तदनुसार उनके द्वारा ई—वे बिल व्यवस्था को अपनाने हेतु कुछ समय दिये जाने की मांग की गई है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत विज्ञप्ति संख्या KA-NI-1014/XI-9(52)/17-UP.GST RULES-2017–ORDER–(31)-2017 दिनांक 21—7—2017 के प्रभावी होने की तिथि दिनांक 26—7—2017 के स्थान पर दिनांक 16—8—2017 निर्धारित की जाती है। प्रश्नगत कम्प्यूटर परिपत्र संख्या 1718021 दिनांक 22—7—2017 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

-Sd

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, राज्य कर/वाणिज्य कर,

(विष्णु भार्गव)
महासचिव